प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 04/2022 आर.टी.आई. दायर दिनांक - 27.09.2022

अपीलार्थीः **श्री विनोद गहलोत पिता श्री देवकृष्ण टेलर, 78, गणेशघाटी, उदयपुर-313001**

बनाम

प्रत्यर्थीः **लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर**

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :-

निर्णय दिनांक 19/10/22

श्री विनोद गहलोत, उदयपुर ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 23.09.2022 (जरिये आरटीआई पोर्टल) कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उपलब्ध सूचना/जवाब से असंतुष्ट होने से तथा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की पालना नही किये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र कमांक 3537 दिनांक 27.09.2022 से श्री विनोद गहलोत द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 07.10.2022 को प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया कि-

"अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में सूचना का अधिनियम-2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन दिनांक 22.07.2022 को प्रेषित कर 13 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई। उक्त आवेदन पर अपीलार्थी को वांछित देय सूचना पत्रांक एफ.17/14( )/आर.टी.आई./2022/3105 दिनांक 25.08.2022 से ससमय उपलब्ध कराई गई। ***अपीलार्थी के प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी, द्वारा अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है।***

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

उक्त सूचना से असतुंष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा श्रीमान समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और उक्त सभी बिन्दुओं पर उज्र प्रस्तुत किया, जिस पर वांछित टिप्पणी निम्नानुसार प्रस्तुत है-

1. अपीलार्थी द्वारा आवेदन के **बिन्दु संख्या-1** में उसको जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.07.2022 में अंकित तथ्यों के आधारों की प्रतियां चाही गई। वांछित सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं होने से सूचना देय नहीं है। परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के आवेदन में अंकित कथनों से परे जाकर अपील में अभिवचन प्रस्तुत किये जो अपील की कार्यवाही में सुनने योग्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा इस बिन्दु पर अपील में अंकित कथित वचनों से संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लिखित करना चाहते है कि अपीलार्थी स्वयं एक राजकीय कर्मचारी होकर वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर में स्टेनों के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी के संबंध में अशोभनीय एवं अनुचित शब्दों का उपयोग किया गया है, जो आचरण नियमों के विपरित होकर अपीलार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ किये जाने योग्य है। **पुनः लेख है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है, किन्तु इस बात का कारण सूचित किए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया। औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।**
2. अपीलार्थी द्वारा आवेदन के **बिन्दु संख्या-2** में नोटिस दिनांक 07.07.2022 के संबंध में संबंधित कर्मचारियों की सूचना चाही गई। उक्त सूचना तृतीय व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना एवं उनकी सुरक्षा से संबंधित होने से गोपनीय होने से देय नहीं होने से अपीलार्थी को सूचित किया। परन्तु परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के आवेदन में अंकित कथनों से परे जाकर अपील में अभिवचन प्रस्तुत किये जो अपील की कार्यवाही में सुनने योग्य नहीं है। न ही इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। उल्लिखित है कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-8 (1)(छ) अनुसार इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए व्यक्ति को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी जहां सूचना जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा। **इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान हो गया था कि वांछित सूचना तृतीय व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना एवं उनकी सुरक्षा से संबंधित होने से देय नहीं है।**
3. अपीलार्थी द्वारा आवेदन के **बिन्दु संख्या-3** में दिनांक 05.07.2022 की प्रातः 10.15 से 12.00 बजे की सीसीटीवी फूटेज की सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी को सूचित किया गया। **प्रावधानों के अन्तर्गत मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो।** वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया था।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

4. अपीलार्थी द्वारा आवेदन के **बिन्दु संख्या-4 व 6** में अपीलार्थी द्वारा किन-किन अधिकारियों की शिकायत की गई व किन किन से उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा संबंधित सूचना चाही गई। उक्त सूचना तृतीय व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना एवं उनकी सुरक्षा से संबंधित होने से गोपनीय होने से देय नहीं होने से अपीलार्थी को सूचित किया। परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के आवेदन में अंकित कथनों से परे जाकर अपील में अभिवचन प्रस्तुत किये जो अपील की कार्यवाही में सुनने योग्य नहीं है। न ही इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। उल्लिखित है कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-8 (1)(छ) अनुसार इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए व्यक्ति को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी जहां सूचना जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा। **इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान हो गया था कि वांछित सूचना तृतीय व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना एवं उनकी सुरक्षा से संबंधित होने से देय नहीं है।** जहां तक अपीलार्थी के किन किन अधिकारियों की शिकायत करने का प्रश्न है, अपील मेमों के अंकित तथ्य ही अपीलार्थी के प्रश्न का आंशिक उत्तर प्रकट हो रहा है।
5. अपीलार्थी द्वारा आवेदन के **बिन्दु संख्या-5** में मिलने वाले से संबंधित सूचना चाही गई, जो संधारित नहीं होने से अपीलार्थी को सूचित किया गया। **प्रावधानों के अन्तर्गत मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो।** वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया था।
6. अपीलार्थी द्वारा आवेदन के **बिन्दु संख्या-7 व 12** में नोटिस दिनांक 07.07.2022 से संबंधित नोट शीट मय पत्रावली एवं किस अनुभाग/शाखा में किसी कार्मिक द्वारा टंकित किया गया की सूचना मांगी गई थी, जिस अपीलार्थी को वांछित सूचना ससमय उपलब्ध करा दी गई। परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के आवेदन में अंकित कथनों से परे जाकर अपील में अभिवचन प्रस्तुत किये जो अपील की कार्यवाही में सुनने योग्य नहीं है। न ही इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। अपीलार्थी द्वारा इन बिन्दुओं पर तत्कालीन अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर पर व्यक्तिगत रूप से मिथ्या आरोप लगाये गये है, जिसके संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अपीलार्थी का यह आचरण अशोभनीय एवं सेवा नियमों के विपरित होने से अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ किये जाने योग्य है।
7. अपीलार्थी द्वारा आवेदन के **बिन्दु संख्या 8** में श्री ऐश्वर्यसिंह डोडिया के उच्च कार्यालय एवं राजनेता द्वारा फोन करा प्रभाव डालने पर सेवा नियमों के तहत कार्यवाही की प्रतियां चाही गई, जिसके संबंध में सूचना शून्य होने से अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया था। परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के आवेदन में अंकित कथनों से परे जाकर अपील में अभिवचन प्रस्तुत किये जो अपील की कार्यवाही में सुनने योग्य नहीं है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। **प्रावधानों के अन्तर्गत मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो**

और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। *वांछित सूचना शुन्य होने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया था।*

8. *अपीलार्थी द्वारा आवेदन के* ***बिन्दु संख्या 9 व 10*** *से इस कार्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कार्मिकों संबंध में उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी, जिसके संबंध में कारणों सहित सूचना देय नहीं होने के कारण अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया। परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के आवेदन में अंकित कथनों से परे जाकर अपील में अभिवचन प्रस्तुत किये जो अपील की कार्यवाही में सुनने योग्य नहीं है। उल्लिखित है कि वांछित सूचना किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं होकर व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण है। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संयाा 11/02/2013-आई.आर.(पाट) दिनांक 14.08.2013 अनुसार व्यक्तिगत सूचना के विषय में सर्वोच्य न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि* *The performance of an employee/Officer in an organization is primirly a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which all under the expression 'personal information' the disclosure of which has no relationship to any activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual.* *यहा लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान हो गया था कि वांछित सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में नहीं है और सूचना गोपनीय है। जिससे सूचना का अधिनियम के तहत वांछित सूचना देय नहीं होने से अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया था।*

9. *अपीलार्थी द्वारा आवेदन के* ***बिन्दु संख्या 11*** *से अपीलार्थी को जान से मारने की धमकी पर की गई कार्यवाही से एवं दिनांक 04.07.2022 के वृतांत का उल्लेख कर संबंधित सूचना मांगी गई थी। उक्त सूचना का प्रकटन अधिनियम की मूल भावना अनुसार विस्तृत लोकहित में नहीं होने से देय नही होने एवं दिनांक 04.07.2022 के कथित वृतांत से संबंधित जानकारी संबंधित अनुभाग/कार्यालय में उपलब्ध नही होने सूचना शून्य होने से अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया था। परन्तु अपीलार्थी द्वारा तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी पर मिथ्या आरोप लगाते हुए आवेदन से विपरित कथन प्रस्तुत किये है, जो समर्थन योग्य नहीं है।*

विशेष कथनः-

सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है, ऐसे प्रश्न किसी मामलें विशेष के औचित्य के बारे में पुछनें जैसा ही होगा। लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किन्तु इस बात का कारण सूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया, औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो सूचना नोटिस दिनांक 07.07.2022 पर चाही गई है, वह प्रश्नों के रूप में होने से सूचना की परिभाषा के दायरे में नही है।

साथ ही प्रावधानों के अन्तर्गत मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना का व्याख्या करने, अथवा

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

साथ ही अधिनियम की धारा-8 के उपबंधों अनुसार वांछित सूचना देने की बाध्यता नहीं है, जिसका विस्तृत वर्णन उपरोक्त पेरा में किया गया है।

उल्लिखित है कि अपीलार्थी स्वयं एक राजकीय कर्मचारी होकर वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर में स्टेनों के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, जो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पद पर रहे, के संबंध में अशोभनीय एवं अनुचित शब्दों का उपयोग किया गया है, जो आचरण नियमों के विपरित होकर अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी के प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता, लोक सूचना अधिकारी, द्वारा अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाये जाने का श्रम करावें।''

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 3649 दिनांक 10.10.2022 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त पत्र दिनांक 10.10.2022 अपीलार्थी को जरिये आरटीआई पोर्टल, प्रस्तुत ईमेल एवं रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ईमेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया।

लोक सूचना अधिकारी/अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर के प्रत्युतर पर अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित प्रतिक्रिया दिनांक 16.10.2022 को जरिये ईमेल प्रेषित की।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब, लिखित प्रतिक्रिया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया।

विधिक स्थिति यह है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है, ऐसे प्रश्न किसी मामलें विशेष के औचित्य के बारे में पुछनें जैसा ही होगा। लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किन्तु इस बात का कारण सूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया, औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। **हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो सूचना नोटिस दिनांक 07.07.2022 पर अपने आवेदन से कई ऐसे**

बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है, वह प्रश्नों के रूप में होने से सूचना की परिभाषा के दायरे में नही है। हम लोक सूचना अधिकारी के जबाव से संतुष्ठ है क्योंकि नोटिस दिनांक 07.07.2022 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उक्त विधिक स्थिति के संबंध में सूचना के रूप में परिभाषित नहीं होने से देय नहीं है।

इसके अतिरिक्त यह भी जाहिर आया है कि वांछित सूचना किसी लोक कियाकलाप या हित से संबंध नहीं होकर व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण है। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/02/2013-आई.आर.(पार्ट) दिनांक 14.08.2013 अनुसार व्यक्तिगत सूचना के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि The performance of an employee/Officer in an organization is primirly a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which all under the expression 'personal information' the disclosure of which has no relationship to any activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual. **यहा लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान हो गया था कि वांछित सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में नहीं है। जिससे सूचना का अधिनियम के तहत आवेदन में वर्णित कई बिन्दुओं पर वांछित सूचना देय नहीं होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया था।**

विधिक स्थिति यह भी है कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-8 (1)(छ) अनुसार इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए व्यक्ति को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी जहां सूचना जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा। **इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान हो गया था कि वांछित सूचना तृतीय व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना एवं उनकी सुरक्षा से संबंधित होने से देय नहीं है जिससे यह न्यायालय/कार्यालय पूर्णतया सहमत है।**

उल्लेखनीय है कि यदि मांगी गई सूचना का कोई हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक सूचना प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के अलग-अलग हिस्से एक से अधिक दुसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचित कर देना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया। लेख है कि अधिनियम के तहत वही सूचना देना अपेक्षित है, जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के

सूचना आयुक्त

नियंत्रणाधीन धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना का सृजन माना जाएगा। अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में सूचना का संबंध किसी लोक प्राधिकरण विशेष से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किये जाने का मामला नहीं बनता है। **हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उक्त कतिपय सूचना टीएडी कार्यालय से संबंधित होने का कथन किया है। उक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में कथित सूचना अन्य कार्यालय से सम्बन्धित होने से सूचना का सृजन किये जाने तुल्य है, जो इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है, अतः अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किये जाने का मामला नहीं बनता है।**

यह भी जाहिर आया है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन में कई ऐसी सूचनाएं भी चाही गई थी जो लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में संधारित नहीं थी। प्रावधित है कि मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। **विधिक स्थिति और सूचना संधारण के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को ससमय सूचित कर आवेदन में वर्णित बिन्दुओं से चाही गई सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफलता प्राप्त की है।**

अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं आवेदन में अंकित अनुरोध के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि अपीलार्थी द्वारा इस स्तर अपने जवाब में पुनः कयासी आधार पर नवीन काल्पनिक/कयासी तथ्य प्रस्तुत किये है, जिसका उल्लेख लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने प्रत्युतर में भी किया गया है। **लिखित प्रतिकिया और अपील मेमों में प्रस्तुत कथनों, जो कयासी/काल्पनिक आधार पर किये गये है, के संबंध में अपीलार्थी दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिससे प्रस्तुत कथन कतई ग्रहण करने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाते है।**

अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया है कि उसके द्वारा आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया है, न की राजकीय कार्मिक की हैसियत है। यहा हम यह उल्लेख किया जाना उचित समझते है कि एक तरफ से अपीलार्थी अपने आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने का कथन करता है और दूसरी तरफ स्वयं अपने राजकीय कार्मिक होने एवं इस कार्यालय में पूर्व में कार्यरत होकर कथित वृतांत का उल्लेख करता है जो अपीलार्थी द्वारा स्वयं विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। यहा हम यह भी विवेचित

किया जाना उचित समझते है कि अपीलार्थी स्वयं एक राजकीय कर्मचारी होकर वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर में स्टेनों के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी के संबंध में अशोभनीय एवं अनुचित शब्दों का उपयोग किया गया है, जो उचित नही है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट होता है कि **लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2022 से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन में वर्णित 13 बिन्दुओं की वांछित सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। हम यह भी पाते है कि अपीलार्थी के आवेदन का लोक सूचना अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विनिश्चय किया है और अपीलार्थी अपने कथनों को सफलता पूर्वक साबित नही कर पाया जिससे प्रस्तुत अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है।**

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01- लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

02- श्री विनोद गहलोत पिता श्री देवकृष्ण टेलर, 78, गणेशघाटी, उदयपुर-313001

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर (राज.)